

कार्यालय.आदेश सं.70/2017


महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 300, पृष्ठांकन सं.- का/ 210/ PERIODICAL TR(I) Pt.। गोरखपुर दिनांक -30.11.2016, द्वारा डॉ. सुनन्दा चतुर्वेदी, वमचिधि/वाराणसी का स्थानांतरण लनामिरेचि/गोरखपुर के लिए आदेश जारी किया गया था, जिसे अब महाप्रबन्धक(कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 313, पृष्ठांकन सं.- का/210/10-3/मुचिधि (I) गोरखपुर दिनांक 27/28.12.2016 द्वारा निरस्त किया गया है।

मण्डल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 23.01.2017

सं. का/191/राज/डॉ. सुनन्दा चतुर्वेदी/पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा निदेशक/गोरखपुर
5. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी
8. चिकित्सा निदेशक, कैंसर संस्थान/वाराणसी।
9. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
13. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
14. सम्बन्धित अधिकारी।


23/01/17
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी